


40



पित

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

म०प्र०

निगरानी - 6507/2018/पन्ना/भू.र

राजकुमार तिवारी पिता नारायण दास तिवारी निवासी -ग्रम रंजोरपुरा तहसील देवेन्द्र नगर जिला पन्ना म०प्र.

.....आवेदक

विरुद्ध

1. मनीराम पिता कल्लू राम तिवारी
2. लखन तनय पूरन तिवारी
3. नूर मोहम्मद पिता मोती मुसलमान सभी निवासीगण -ग्रम रंजोरपुर तहसील व जिला पन्ना म.प्र.
4. रतन सिंह तनय बंसतलाल यादव
5. प्रहलाद सिंह पिता रामचरण यादव
6. आशाराम पिता जवाहर सिंह यादव
7. बाबूलाल पिता दयाराम यादव सभी निवासीगण ग्रम सवाईगंज तहसील पन्ना जिला पन्ना म.प्र.

.....अनावेदकगण

सुनील मिश्रा
19-12-18
प्रस्तुत प्रारम्भिक तथ्य हेतु
दिनांक 18-7-19 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

सुनील मिश्रा
19-12-18

निगरानी आवेदन पत्र अतर्गत धारा 50 के तहत म०प्र० भू-राज्य सहिता 1959 विरुद्ध अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर म.प्र. के प्रकरण क ^{निगानी} 570/अ-19/10-11 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 25.10.2018 के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :-
प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य :-

3

निगरानी: 6507/2018 पन्ना
राजकुमारी / मनीषा

22/02/2019 (1) - निगरानीकर्ता के अति: श्री सुनील सिंह
आदों को कायमा पर सुना गया।

(2) - आंतरिक कमिश्नर सागर समं,
सागर के द्वारा द्वितीय अपील में
दिनांक 25/10/2018 को अपेक्षा
परित किया है, जिसके विरुद्ध
इस-याचक में निगरानी प्रस्तुत
की गयी है।

(3) म.प.मू. रा. संविता 1959 में 25 सितम्बर
2018 से संबोधन होने के कारण
द्वितीय अपील में परित अपेक्षा
के विरुद्ध Revision (निगरानी)
का प्रवधान समाप्त कर दिया गया
है।

(4) अतः उक्त के अनुक्रम में
Revision Maintainable न
होने से अग्रद्वय की जाती है
है।

3

हरम
22/02/2019